इकाई ९ बांग्लादेश में राजनीतिक संरचना एवं प्रक्रियाएँ

इकाई की रूपरेखा

९.० उद्देश्य
९.१ प्रस्तावना
९.२ १९७२ का संविधान
९.३ संविधान की प्राथमिकता एवं नागरिक प्रशासन
९.४ प्रीटोरियन हस्तक्षेप
९.५ सैनिक शासन का ''नागरिकीकरण''
९.६ प्रीटोरियनवाद तथा जनतांत्रिक चुनौतियों की पुनरावृत्ति
९.७ लोकतंत्रा की पुनर्स्थापना
९.८ नौकरशाही
९.९ सेना
९.१० सारांश
९.११ कुछ उपयोगी पुस्तकें
९.१२ बोध प्रश्नों के उत्तर

९.० उद्देश्य

इस इकाई में औपचारिक तथा अनौपचारिक राजनीतिक संरचना और संस्थाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बंग्लादेश में राजनीतिक विकास की चर्चा की गई है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- बांग्लादेश की राजनीति के प्रमुख लक्षणों की पहचान कर पाएँगे;
- देश के राजनीतिक इतिहास की पहचान कर पाएंगे;
- सैनिक शासन के दौरान राजनीति में हुए परिवर्तनों की पहचान कर पाएंगे;
- बांग्लादेश की राजनीतिक प्रणाली में सेना तथा नौकरशाही की भूमिका; और
- बांग्लादेश में लोकतंत्रा की पुनर्स्थापना का विवेचन कर पाएँगे।

९.१ प्रस्तावना

बांग्लादेश दक्षिणी एशिया का सबसे बाद में बना राष्ट्र है स्वतंत्रा राष्ट्र के रूप में इसका जन्म राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के परिणामस्वरूप हुआ। यह राष्ट्रीय आंदोलन १९४८ में केवल उर्दू को राजभाषा के रूप में थोपने के विरोध से आरम्भ हुआ था। धीरे-धीरे इस आदोलन ने पाकिस्तानी शासकों द्वारा लोगों के आर्थिक शोषण के विरूद्ध राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले लिया। आवामी लीग ने, इस राष्ट्रीय आंदोलन की शुरूआत की जिसने १९६६ में छह सूत्राी कार्यक्रम अपनाया जिसमें बांग्लादेश के लिए स्वायतता की मांग की गई थी। जब पाकिस्तान ने १९७० के चुनावों के अंतिम निर्णय का सम्मान नहीं किया तो आवामी लीग के पास पूर्ण स्वतंत्राता प्राप्ति के लिए स्वतंत्राता आंदोलन को आगे बढ़ाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। इसके

परिणामस्वरूप १९७१ में बांग्लादेश स्वतंत्रा हुआ।

बांग्लादेश के संविधान में संसदीय सरकार की परिकल्पना की गई तथा लोकतंत्रा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के सिद्धांत नए राष्ट्र के आधार बनाए गए। इन सिद्धांतों से लोगों की चिरस्थायी मांगें परिलक्षित हुईं तथा इसी कारण संविधान को व्यापक राजनीतिक मान्यता मिली जब हम बांग्लादेश के राजनीतिक विकास पर चर्चा करेंगे, हम पाएंगे कि बाद के सभी अलोकतांत्रिाक शासनों में इन सिद्धांतों की अवमानना ही नहीं की गई जन आंदोलनों के माध्यम से इस तरह की चेष्टाओं को समाप्त किया गया। आप यह पाएंगे कि अधिकांशत: बांग्लादेश की राजनीति लोकतांत्रिाक तथा अलोकतांत्रिाक शक्तियों के बीच संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती रही है। दूसरे शब्दों में, राजनीति अनिवार्य रूप से जनतांत्रिाकरण की राजनीति रही है न कि स्थिर लोकतांत्रिाक देश की सामान्य प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति।

९.२ १९७२ का संविधान

४ नवम्बर, १९७२ को बांग्लादेश द्वारा अपनाए गए संविधान में १५३ धाराएँ थीं जिन्हें ११ भागों में विभक्त किया गया था। ४ सूचियों को १६ दिसम्बर, १९७२ से लागू कर दिया गया। इससे स्वतंत्राता के लिए लम्बे संघर्ष की लोकतांत्रिाक सशक्त इच्छाएँ अभिव्यक्त होती हैं तथा इसके अंतर्गत भारतीय प्रणाली के समान अंकुश तथा संतुलन बनाए रखते हुए मानव अधिकारों तथा राजनीतिक स्वतंत्राता की गारंटी दी गई है ।

जातीय संसद (संसद) द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल ५ वर्ष का होता है तथा उसे महाभियोग के माध्यम से इस पद से हटाया भी जा सकता है। वह नाममात्रा का अध्यक्ष होता है जबकि प्रधानमंत्राी गणतंत्रा की कार्यकारी शक्तियों को उपयोग में ला सकता है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्राी के परामर्श के अनुसार कार्य करना होता है।

संविधान का प्रमुख उद्देश्य संसद की श्रेष्ठता था एक सदन वाली जातीय संसद-जिसमें ३३० सदस्य होते हैं जिनमें से ३०० का चयन वयस्क मताधिकार से होता है जबकि शेष ३० सदस्यों का चयन ३०० चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है।

न्यायिक शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को दी गईं तथा इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों का निर्धारित कार्यकाल रखा गया तथा महाभियोग की प्रक्रिया जटिल बनाई गई।

जैसाकि हम देखेंगे कि इस संविधान को अपनाने के बाद से बंगलादेश में अकस्मात राजनीतिक परिवर्तन आए। प्रथम लोकप्रिय शासन सत्तावादी शासन हो गया था जिसके स्थान पर फौजी-सत्ताधारी शासन तथा बहुदलीय लोकतांत्रिाक शासन का उदय हुआ। इन परिवर्तनों के कारण संविधान का प्रलंबन हुआ तथा संविधान की प्रत्येक धारा में संशोधन हुए। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि नए राष्ट्र के गठन के पहले दो दशकों के दौरान के सत्तावादी तथा सैन्य शासन ने संविधान में प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन किए तथा इस मूल कागजात में वैधानिक संशोधन लाकर इन परिवर्तनों को वैधानिक रूप देने की चेष्टा की।

९.३ संविधान की प्राथमिकता एवं नागरिक शासन

१९७१ में सत्ता में आने के बाद से आवामी लीग ने लोकतांत्रिाक संविधान के गठन की पहल की परन्तु वह लोकतांत्रिाक संस्थानों को सुदृढ़ बनाने में विफल रही। १९७३ के पहले राष्ट्रीय विधानमंडल चुनावों में दल को ३१५ में से ३०७ सीटें मिलीं। स्वतंत्राता के लिए चले अतिविनाशकारी संघर्ष के बाद नई सरकार के पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास की व्यापक समस्या थी। नई सरकार के बहुत कम लोगों को शासन चलाने का अनुभव प्राप्त था। मुजीब कुछ समय

के लिए मंत्री रह चुके थे परन्तु वे नई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल न सके। उन्होंने सिविल सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारियों की सेवाओं का यह कहकर लाभ नहीं उठाया कि उन्होंने स्वतंत्राता संघर्ष में आने से पहले अपने पदों को नहीं छोड़ा था। कई लोगों को राजनीतिक प्रत्ययकारिता के आधार पर महत्वपूर्ण पद दे दिए गए जिसके परिणामस्वरूप अभिशासन में अनिपुणता तथा भ्रष्टाचार का प्रार्दुभाव हुआ। अर्थव्यवस्था स्वतंत्राता पूर्व के स्तर पर दोबारा नहीं आ सकी। आवामी लीग के भीतर उपजी गुटबंदी से न केवल पार्टी को नुकसान हुआ अपितु इसका प्रभाव प्रशासन और सेना पर भी पड़ा। विपक्षी दल कमजोर तथा विभक्त थे, जिनकी भूमिका प्रेस तथा आम जनता ने निभाई। लगातार हड़ताल और अन्य प्रदर्शन हुआ करते थे जिनसे कानून और व्यवस्था बिगड़ती चली गई।

इस अवस्था के प्रत्युत्तर में मुजीब ने दिसम्बर, १९७४ में आपातकाल घोषित कर दिया तथा लोगों के सभी अधिकार और स्वतंत्राता समाप्त कर दी। राजनीतिक कार्यकलापों पर कड़े प्रतिबंध ा लगाए गए। एक महीने बाद मुजीब ने संविधान में चौथा संशोधन किया और गंणतंत्रा के राष्ट्रपति बन गए। इस संशोधन के बाद सरकार का रूप बहुदलीय संसदीय प्रणाली से बदलकर एक दलीय राष्ट्रपति प्रणाली का हो गया। इस परिवर्तन से सारे विधायी और कार्यपालिका के अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हो गए। इस संशोधन ने राष्ट्रपति को देश में एक दलीय व्यवस्था लागू करने का अधिकार भी दे दिया। इसके तुरन्त बाद मुजीब ने एकल राष्ट्रीय दल के गठन की घोषणा कर दी जिसे बंग्लादेश कृषक श्रमिक आवामी लीग अर्थात! 'बकसाल' का नाम दिया गया। यह काडर पर आधारित दल था परन्तु राज्य के नौकरशाह, तकनीकीविद, सैनिक, अर्द्ध-सैनिक तथा पुलिसकर्मी इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते थे। बंग्लादेश कृषक श्रमिक आवामी लीग के संविधान में दल के साथ सामान्य जन अर्थात् श्रमिकों, कृषकों, युवाओ, छात्रों, महिला राष्ट्रीय लीग के जुड़ने का प्रावधान था जिन्हें पार्टी के कार्यक्रमों के अनुरूप चलना था ।

पार्टी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई क्योंकि यह पार्टी कार्य करने में सक्षम पार्टी का रूप न ले सकी। इसका नेतृत्व और सदस्यता अन्य घटक अव्यवस्थित थीं जिनमे पृथक-पृथक विचारध ाारा के लोग थे जिसके कारण अभिशासन में स्थिरता तथा निपुणता आने की अपेक्षा केवल कुप्रशासन और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिला। जमींदारों, नौकरशाहों, मध्यम वर्गीय लोगों सहित विभिन्न वर्ग के लोगों को नई प्रणाली में अपने हितों पर कुठाराघात लगा। इन सब कारणों से १९७५ में राज्य परिवर्तन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आरंभ किया गया।

बोध प्रश्न १

टिप्पणी: i) नीचे दिए गए स्थान को अपने उत्तर के लिए प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर का इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलान करें।

१) सन् १९७२ के संविधान में निर्धारित राज्य के मूल नीति सिद्धांतों की विवेचना करें। क्या वे नीति सिद्धान्त वैध थे?

.....

.....

.....

२) संविधान में चतुर्थ संशोधन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

.....

.....

.....

९.४ प्रीटोरियन हस्तक्षेप

पाकिस्तान के इतिहास तथा स्वतंत्राता प्राप्ति के लिए युद्ध का एक उल्लेखनीय पहलू रहा है - सेना का राजनीतिकरण। सेना में मुजीब के करिश्माई प्रभाव में कमी, सत्ताधारी राजनीतिक दल में गुटबाजी तथा विपक्षी दलों की कमजोरी के अवसर का लाभ उठाते हुए देश में तख्ता पलट कर दिया गया। अगस्त, १९७५ में बांग्लादेश की सेना के कुछ अधिकारियों द्वारा रचे गए षडयंत्रा से मुजीब की हत्या कर दी गई। इन अधिकारियों ने मंत्रिामंडल में अगले वरिष्ठ व्यक्ति खोण्डकर मुश्ताक अहमद को राष्ट्रपति बना दिया। जाने-माने अनुदारवादी मुश्ताक ने उन रूढ़िवादी तथा दक्षिणपंथी तत्वों को प्रमुख स्थान दिया जिन्होंने मुजीब की धर्मनिरपेक्षवादी, जनतांत्रिाक तथा समाजवादी विचारधारा का विरोध किया था।

सेना में राजनीतिकरण तथा गुटबाजी नवम्बर, १९७५ में उभर कर सामने आई। विभिन्न दलों के वफादार सैनिकों द्वारा तख्तापलट के प्रयासों से मुश्ताक को पदच्युत कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश सईम देश के राष्ट्रपति तथा प्रमुख प्रशासक बने। मेजर जनरल जियाउर्रहमान सामरिक प्रशासन के प्रमुख प्रशासक बने। ''जिया'' के नाम से लोकप्रिय, जनरल जियाउर्रहमान स्वतंत्राता संग्राम के नायक थे। शीघ्र ही वे सत्ताधारी दल के प्रमुख सदस्य बन गए। नवम्बर, १९७६ में उन्होंने सैनिक शासन प्रशासक के रूप में न्यायाधीय सईम का स्थान ले लिया तथा बाद में राष्ट्रपति पद भी प्राप्त कर लिया। जिया ने जनमतसंग्रह करवाया ताकि अपने पदासीन होने को वैध ठहराया जा सके। इस जनमत संग्रह के दौरान जिया ने बांग्लादेश में आर्थिक तथा सामाजिक रूप से जान फूंकने के लिए १९ सूत्राी कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। इस कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ बंगाली राष्ट्रवाद की अपेक्षा बांग्लादेशी राष्ट्रवाद पर बल दिया गया था। इसमें राष्ट्रीय जीवन के आधार के रूप में इस्लाम की पुष्टि भी की गई थी।

सैनिक शासन के दौरान मुजीब के शासनकाल की कई नीतियों को बदलने के प्रयास किए गए। बांग्लादेश की स्वतंत्राता का विरोध करने वाली तथा पाकिस्तान की सैनिक कार्रवाई का समर्थन करने वाली राजनीतिक शक्तियों को छूट दी गई। स्वतंत्राता प्राप्ति के बाद जिन सेवानिवृत्त सैनिक कर्मियों तथा पाकिस्तानी सिविल सेवाओं में प्रशिक्षित विवादास्पद सिविल नौकरशाहों को हाशिये पर रख दिया गया था, उन्हें प्रशासन में महत्वपूर्ण पद सौंपे गए। जिया के लिए चेतावनी बनने वाले सभी तत्वों को सेना से निकाल दिया गया। सैनिक शासन के दौरान कई आर्थिक नीतियों को भी बदल दिया गया। उदाहरण के तौर पर सरकार द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए मुआवज़े का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया। तदन्तर विराष्ट्रीयकरण तथा विदेशी निजी पूंजी इत्यादि सहित निवेश में छूट देने से संबंधित कदम उठाए गए।

१९७७ के बाद के महीनों में सैनिक तख्ता पलट के कई प्रयास किए गए। अत: जनरल जिया ने बांग्लादेश के आर्थिक, राजनीतिक समाज में लोकप्रिय वैधता लाने की आवश्यकता महसूस की। राष्ट्रपति के लिए चुनाव अभियान की तैयारी करने के लिए जिया ने अपनी एक पार्टी ''जागोदल'' गठित की जिसमें १९ सूत्राी कार्यक्रम को अपनाया गया। जून, १९७८ में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों में जिया को मुस्लिम लीग के सहयोगी दल, जतियातीवादी फ्रंट, अब्दुल हमीद खान मशानी की राष्ट्रीय आवामी पार्टी के वामपंथी गुट यूनाइटिड पीप्लस पार्टी तथा अनुसूचित जाति संघ का समर्थन प्राप्त हुआ परन्तु जनरल एम ए जी ओस्मानी ने उनका विरोध किया जिसके नाम का बाद में जल्दी-जल्दी में बनाए गए चुनावी गठबंधन, गणतांत्रिाक ओइक्यो जोट (जी आ जी) ने प्रस्ताव किया। इस गठबंधन ने आवामी लीग, राष्ट्रीय पार्टी

(मुज्जफ्फर), नेशनल पार्टी ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश तथा कई अन्य वामपंथी तथा लोकतांत्रिक पार्टियाँ शामिल थीं। चुनावी अभियान में जे एफ ने जिया द्वारा चलाई गई राष्ट्रपति सरकार का समर्थन किया तथा आवामी लीग- बांग्लादेश कृषक श्रमिक (ए एल -बकसल) के कुशासन की ओर ध्यान दिलाया। दूसरी ओर गणतांत्रिक आईक्यो जोट ने संसदीय लोकतंत्रा को पुन:स्थापित करने के मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित किया। जियाउर्रहमान चुनाव जीत गए और उन्हें ७६ प्रतिशत वोट मिले। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि जनरल ने तब तक सैनिक शासन को समाप्त नहीं किया था तथा यह तब भी चल रहा था।

९.५ सैनिक शासन का ''नागरिकीकरण''

अधिकाँश सैनिक शासक जानते हैं कि सैनिक शासन को हमेशा के लिए जारी रखना संभव नहीं है अत: वे सैनिक सर्वप्रभुतासम्पन्न शासन को लोकतंत्रा का नागरिक जामा पहनाने का प्रयास करते हैं। पाकिस्तान में जनरल अयूब ने संविधान की घोषणा की थी और तथाकथित नेशनल असेम्बली (राष्ट्रीय सभा) के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव कराए। जनरल ज़िया-उल-हक ने भी ऐसा ही किया। सितम्बर, १९७८ में जनरल ज़िया ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बी एन पी) नाम से अपनी पार्टी बनाई इसमें जागो दल तथा अन्य पार्टियों से अलग हुए गुटों के लोग शामिल थे। इसी बीच आवामी लीग में विभाजन हो गया जो पहले से ही राजनीतिक संकट से जूझ रही थी। नवम्बर, १९७८ में ज़िया ने जनवरी १९७९ में संसदीय चुनाव कराने तथा चुनाव के बाद सैनिक शासन निरस्त करने की घोषणा की परन्तु विपक्षी दलों ने सैनिक शासन तत्काल समाप्त करने की मांग की। ज़िया को सैनिक शासन की सख्ती में ढील देनी पड़ी। विपक्ष की मांगों के आगे झुकते हुए उसने संविधान में कुछ संशोधनों की भी घोषणा की जिसमें संसद के अधिकारों में वृद्धि भी शामिल है।

व्यापक रूप से जन हित चुनावी मुद्दा नहीं था। चुनाव अभियान का प्रमुख मुद्दा या तो ज़िया शासन को जारी रखना था या फिर इसे हटाना था। इसमें बी एन पी ने आवामी लीग के कमजोर पहलुओं पर अधिक बल दिया तथा लोगों को चेतावनी दी कि यदि ए एल -बकसाल सत्ता में वापिस आते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आवामी लीग तथा अन्य विपक्षी दलों ने ज़िया के सैनिक शासन की ओर लोगों का ध्यान दिलाया तथा संसदीय लोकतंत्रा की बहाली के लिए प्रचार किया। बी एन पी ने आवामी लीग तथा इसके करीबी दलों की वामपंथी विचारधारा की तुलना में अपनी दक्षिण पंथी विचारधारा पर बल दिया। स्पष्टतया बी एन पी के चुनावी अभियान का प्रमुख लक्ष्य था- अतिरिक्त किसान वर्ग व उभरता हुआ मध यम तथा शहरी सफेदपोश वर्ग, जो ए एल -बकसाल के शासन में अपने भविष्य के बारे में चिंतित था।

स्वतंत्राता के बाद हुए दूसरे चुनावों मे बी एन पी को शानदार सफलता मिली तथा उसे ३०० में से २०७ सीटें मिलीं। आवामी लीग केवल ३९ सीटों पर विजयी रही हालांकि इसे लोकप्रिय वोटों का २५.४ प्रतिशत मिला। बी एन पी की सफलता से सैनिक शासक की अध्यक्षता वाले राजनीतिक शासन को बल मिला। ज़िया ने अगस्त, १९७५ के सैनिक शासन के बाद से चुने गए या बिना चुने गए शासकों के कानूनों तथा कार्यों की क्षतिपूर्ति संविधान के पांचवे संशोधन के रूप में की। इसके बाद उसने सैनिक शासन समाप्त कर बंग्लादेश की राजनीति में ''नागरिकीकरण'' की प्रक्रिया को पूरा किया।

ज़िया की बी एन पी ने चुनाव जीता था तथा उसके माध्यम से वैधता भी प्राप्त कर ली थी परन्तु पार्टी सैद्धान्तिक रूप से एकजुट नहीं थी। इसमें विविध सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक विचारधारा के लोग थे। जिया पूरी तरह से पार्टी पर छाए हुए थे। उन्होंने व्यवहार कुशल ढंग से असैनिक राजनीतिक विरोधियों तथा सेना के भीतर के विरोधियों का दमन किया किन्तु उसके

राजनीतिक कैरियर का अचानक मई, १९८१ में अंत हो गया जब उसकी एक सैनिक शासन परिवर्तन में हत्या कर दी गई।

जियाउर्रहमान ने कृषि के क्षेत्रा की समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए थे। उसके शासन काल में, मौसम की कुछ अच्छी परिस्थितियों के कारण तथा कुछ व्यापक विदेशी सहायता प्राप्ति के कारण, उल्लेखनीय आर्थिक विकास हुआ। उसने कुछ हद तक लोकतांत्रिाक प्रक्रिया बहाल की तथापि उनके द्वारा स्थापित लोकतांत्रिाक मुखौटे का अस्थायीपन तथा कमजोर पहलू उसकी हत्या के बाद उभर कर सामने आए।

बोध प्रश्न २

टिप्पणी: i) नीचे दिए गए स्थान को अपने उत्तर के लिए प्रयोग करें ।

ii) अपने उत्तर का इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलान करें।

१) बांग्लादेश की राजनीति में सैनिक हस्तक्षेप के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे?

.....

.....

.....

.....

२) जनमत संग्रह कराए जाने से पहले जियाउर्रहमान ने अपनी स्थिति कैसे मजबूत की?

.....

.....

.....

.....

९.६ प्रीटोरियनवाद तथा जनतांत्रिक चुनौतियों की पुनरावृत्ति

जिया की मृत्यु के बाद उप-राष्ट्रपति अब्दुल सत्तार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव १८० दिनों के भीतर कराए जाने थे। अब्दुल सत्तार ने मुस्लिम लीग, जमायत-ए-इस्लामी तथा अन्य कई समूहों के सहयोग से चुनाव मे जीत हासिल की। सत्तार द्वारा बनाई गई सरकार में पहली बार वे लोग शामिल हुए जिनमें से किसी ने स्वतंत्राता आंदोलन में भाग नहीं लिया था। आरम्भ में सत्तार को सेना, राज्य मशीनरी तथा प्रेस का समर्थन मिला परन्तु शीघ्र ही यह बुजुर्ग व्यक्ति अप्रभावी नेता के रूप में सामने आया जिसके इर्द-गिर्द भ्रष्ट तथा अक्षम मंत्राी थे। इसके अतिरिक्त, सेना ने देश के अभिशासन में अपने लिए संवैधानिक भूमिका की मांग की। बांग्लादेश सेना के अध्यक्ष, जनरल एच एम इरशाद ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापित करने की मांग की जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सेना को भागीदार बना सके परन्तु राष्ट्रपति सत्तार ने यह मांग ठुकरा दी। बी एन पी के भीतर की कलह तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच के गहरे मतभेदों के कारण सरकार की कमजोरी का आभास होने पर जनरल इरशाद ने मार्च, १९८२ में तख्ता पटल कर राष्ट्रपति सत्तार तथा उसकी सरकार को निरस्त कर दिया।

जनरल एच एम इरशाद के सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश ऐसे राजनीतिक मोड़ पर वापिस

आ खड़ा हुआ जिसे जनरल जिया के धीमे उदारीकरण के कारण छोड़ना पड़ा था। संविधान स्थगित कर दिया गया, सैनिक शासन की घोषणा की गई, संसद को भंग कर दिया गया तथा पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। जनरल इरशाद ने सभी कार्यकारी तथा वैधानिक अधिकार अपने पास रखे। नई सरकार को कन्सलटेटिव काउंसिल का नाम दिया गया जिसमें सेना के कार्यरत तथा सेवानिवृत्त अधिकारी और बिना किसी पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नौकरशाह शामिल थे।

आरम्भ में जनरल इरशाद ने देश के सम्मुख आने वाली समस्याओं के समाधान में नरम रवैया अपनाया परन्तु बाद मे उन्होंने भ्रष्टाचार के विरूद्ध कठोर अभियान शुरू कर दिया। कई भूतपूर्व मंत्रियों को कारावास की सजा सुनाई गई तथापि, अधिकांश को आंशिक रूप से सजा पूरी होने के बाद छोड़ दिया गया। उस समय यह आरोप लगाया गया कि ये केवल लोकप्रियता हासिल करने के हथकंडे थे। यह बात भली भांति उजागर थी कि कई सेना अधिकारी भ्रष्टाचार में बुरी तरह लिप्त थे।

ऐसे में छात्रोां, व्यावसायिकों तथा बुद्धिजीवियों के बड़े समूह में सैनिक शासन के विरूद्ध आक्रोश और बढ़ गया तथा यह प्रभावी रूप से उभर कर सामने आने लगा। राजनीतिक दल, जो अब तक बंटे हुए थे, धीरे-धीरे इकट्ठा होकर एकजुट होने लगे ताकि लोगों को सैनिक सरकार के विरूद्ध तैयार किया जा सके। इससे पक्ष-विपक्ष की राजनीति का पैटर्न बनने लगा जो १९९० के शुरू तक देश के सार्वजनिक जीवन पर छाया रहा। यह एक विरोधाभास रहा कि स्कूलों में अंग्रेजी तथा अरबी अनिवार्य विषय बनाने की सरकार की इस्लाम नीति की योजना के कारण इरशाद सरकार के विरूद्ध प्रथम व्यापक प्रदर्शन, विशेषकर विश्वविद्यालय छात्रोां द्वारा किए गए। छात्रा आंदोलन से विपक्ष एकजुट होकर संयोजित हो गया।

सरकार का विरोध करने वाले विपक्षी दलों के प्रमुख गठबंधन में १५ पार्टियां शामिल थीं (कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश, नेशनल आवामी पार्टी, जातीय समाजतांत्रिाक दल, वर्कर्स पार्टी, समाजवादी दल इत्यादि)। इस गठबंधन की अध्यक्ष स्वर्गीय शेख-मुजीबउर्रहमान की सुपुत्री हसीना वाज़ेद थीं। दलों का एक और गठबंधन बना जिसकी अध्यक्ष बी एन पी के भूतपूर्व राष्ट्रपति जियाउर्रहमान की पत्नी थीं। इसमें बी एन पी के अतिरिक्त कई दक्षिणपंथी तथा कट्टरपंथी दल शामिल थे। इन दो प्रमुख गठबंधनों के बीच गहरा अविश्वास था परन्तु इससे ३२ दल वाला मोर्चा तैयार हुआ जिसमें समाजवादी, साम्यवादी तथा इस्लामिक दल शामिल थे जिन्होंने लोकतंत्रा की बहाली के लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में पांच सूत्राी कार्यक्रम अपनाया गया जिसमें सैनिक शासन की समाप्ति, मौलिक अधिकारों की बहाली, संसदीय चुनाव कराने, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने तथा फरवरी, १९८३ में छात्रोां पर किए गए पुलिस अत्याचार के लिए उत्तरदायी लोगों पर महाभियोग चलाने की मांग की गई।

अगले कुछ वर्षों में राजनीतिक घटनाक्रम इरशाद सरकार द्वारा राजनीतिक विपक्ष के सहयोग से सैनिक तानाशाही से नागरिक सरकार बनने के प्रयासों के इर्द-गिर्द घूमते रहे। दिसम्बर, १९८३ में इरशाद ने राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिया। इसके बाद निचले स्तर पर अपने शासन की पकड़ मजबूत बनाने के लिए उसने स्थानीय निकायों के चुनाव कराए। सरकार ने विपक्ष के आंदोलन को और उनके नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर दबाने की भी कोशिश की। ६ अप्रैल, १९८५ के दिन अगले नए संसदीय चुनाव करवाने की घोषणा की गई। आगामी चुनावों के मद्देनजर सैनिक शासन में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने, सैनिक न्यायालयों को भंग करने इत्यादि मुद्दों के रूप में कुछ हद तक छूट दी गई परन्तु सैनिक शासन वापस लेने की प्रमुख राजनीतिक मांग स्वीकृत नहीं की गई जिसके कारण दोनों विपक्षी मोर्चों ने चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया। इसके प्रत्युत्तर में इरशाद ने १ मार्च, १९८५ से सैनिक शासन पूरी कठोरता से लागू कर दिया। हसीना वाज़िद तथा खालिदा जिया दोनों को गिरतार कर लिया गया।

१९८५ में इरशाद ने विपक्षी दलों की भागीदारी के बिना ''नागरिकीकरण'' की प्रक्रिया जारी रखी। सरकार के लिए सहयोग जुटाने हेतु जनमत संग्रह आयोजित कराया गया। जनमत संग्रह में विपक्ष के भाग न लेने से इरशाद को ९४ प्रतिशत वोट (कुल डाले गए वोटों का प्रतिशत) मिले। मई में इरशाद ने स्थानीय निकायों के लिए उप-जिला चुनाव कराए जिसमें ४० प्रतिशत मत डाले गए। चुनाव के दौरान अप्रत्याशित हिंसा का दौरा चलता रहा तथा इरशाद की जातीय पार्टी को १५१ सीटों पर विजय हासिल हुई।

मार्च, १९८६ में जब इरशाद ने सैनिक शासन के कुछ प्रतिबंधों में ढील दी तो आवामी लीग तथा सात अन्य छोटी पार्टियाँ संसदीय चुनावों में भाग लेने के लिए सहमत हो गईं। बी एन पी ने मई, १९८६ के चुनावों का बहिष्कार किया। चुनावों के दौरान व्यापक स्तर पर धांधलेबाजी हुई जिससे इरशाद प्रायोजित जातीय पार्टी को संसद में १५३ सीटें मिलने के साथ ही स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। महिलाओं के लिए आरक्षित सभी ३० सीटों पर जातीय पार्टी के समर्थकों की विजय हुई जिससे इरशाद के समर्थकों को साधारण बहुमत मिल गया। संसद पर नियंत्राण करने के बाद इरशाद ने राष्ट्रपति चुनावों की प्रक्रिया आरम्भ कर दी। अगस्त, १९८६ में उसने सेनाध्यक्ष (चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) के पद से इस्तीफा दे दिया यद्यपि वह सेना का कमांडर-इन-चीफ बना रहा। सितम्बर में वह औपचारिक रूप से जातीय पार्टी में शामिल हो गया तथा इसका अध्यक्ष बन गया। विपक्ष ने इरशाद के शासन की वास्तविकता उजागर करने का भरसक प्रयास किया तथा नवम्बर, १९८६ के राष्ट्रपति चुनावों का भी बहिष्कार किया। इस चुनाव में इरशाद ने राष्ट्रपति पद के ११ अन्य उम्मीदवारों को शिकस्त दी तथा उसे ८४ प्रतिशत मत प्राप्त हुए।

नागरिक सरकार तथा सैनिक संगठन पर पूर्ण नियंत्राण प्राप्त करने के बाद इरशाद संविधान में सातवाँ संशोधन कराने में सफल रहा जिसके तहत मार्शल लॉ प्रशासन के पुराने सभी कार्यों में संशोधन लाया गया। पिछले चार वर्षों के अपने शासन को वैधता प्रदान करते हुए इरशाद ने सैनिक शासन समाप्त कर संविधान की पुनर्स्थापना की। विपक्षी दल एकजुट होकर इरशाद को सत्ता से बाहर करने में विफल रहे क्योंकि वे परस्पर प्रतियोगी उद्देश्यों को लेकर चल रहे थे। खालिदा ज़िया १९८२ तक हुए संशोधनों सहित संविधान को लागू करने के पक्ष में थी जबकि हसीना १९७२ के पूर्व संविधान को लागू करवाना चाहती थी ।

१९८७ में दो विपक्षी गठबंधनों में सहयोग का नया दौर आरम्भ हुआ। सैनिक कार्मिकों के परिवार गैर-मतदाता सदस्य के रूप में परिषद के कार्यकलापों में हिस्सा लेने के लिए इरशाद की जिला परिषद संशोधन बिल लाने की योजना तथा भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की समस्याएँ दूर करने में सरकार की नाकामयाबी के कारण विपक्षी दल एकजुट हो गए जिसके परिणामस्वरूप पैदा हुए राजनीतिक संकट के कारण इरशाद को संसद भंग करनी पड़ी तथा मौलिक अधिकार समाप्त करने पड़े। फरवरी, १९८८ में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। अगले माह हुए संसदीय चुनावों में इरशाद की पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। जून, १९८८ में संविधान में आठवें संशोधन के माध्यम से इरशाद ने इस्लाम को राज्य धर्म घोषित कर दिया, साथ ही अन्य धर्मों के अनुयायियों को अपना-अपना धर्म अपनाए रखने की भी छूट दी गई ।

इसी बीच इरशाद की सर्वप्रभुसम्पन्नता के विरूद्ध लोकतंत्रा की पुन:स्थापना का आंदोलन छात्राों से आरम्भ हुआ। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रा हिंसा पर उतर आए। राष्ट्रपति इरशाद ने नए संसदीय चुनावों पर बातचीत करने के लिए विपक्षी दलों को बुलाया। ऑल पार्टी स्टूडेंड्स यूनिटी (ए पी एस यू) ने विपक्षी नेताओं को यह संयुक्त वक्तव्य देने के लिए तैयार किया कि वे इरशाद के तत्वाधान में होने वाले किसी भी चुनाव में तब तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि अंतरिम केयरटेकर सरकार को चलाने के लिए विपक्षी गठबंधनों को स्वीकार्य उप-राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया जाता तथा पुनर्गठित चुनाव आयोग की निगरानी में तीन महीने के अंदर संसद के निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जाते।

बोध प्रश्न ३

टिप्पणी: i) नीचे दिए गए स्थान को अपने उत्तर के लिए प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर का इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलान करें।

१) सेना की भूमिका के मुद्दे पर राष्ट्रपति सत्तार तथा जनरल इरशाद के बीच विचारों में क्या अन्तर थे ?

.....

.....

.....

.....

२) इरशाद द्वारा बातचीत के लिए विपक्षी दलों को दिए गए निमन्त्राण के प्रत्युत्तर में उन्होंने अपनी क्या पांच मांगें रखीं?

.....

.....

.....

३) राष्ट्रपति इरशाद द्वारा बातचीत के लिए दिए गए निमन्त्राण के उत्तर में विपक्षी नेताओं ने संयुक्त वक्तव्य क्यों दिया?

.....

.....

.....

९.७ लोकतंत्र की पुनर्स्थापना

सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण इरशाद शासन के विरूद्ध विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन और तीव्र हो गया। विपक्षी दलों ने २८ नवम्बर, १९९० को पिछले दिन हुई ३ प्रदर्शनकारियों की हत्या के विरोध में ढाका तथा पूरे देश में सुबह से शाम तक की हड़ताल की घोषणा कर दी। सरकारी कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए तथा इरशाद के इस्तीफे की मांग की। इरशाद ने भी एमरजेंसी तथा प्रेस-सेंसरशिप की घोषणा कर दी। उसने बातचीत के लिए दस सूत्राी प्रस्ताव की भी घोषणा की परन्तु विपक्ष ने इसे शुरू से ही ठुकरा दिया जिसके कारण जनरल इरशाद को इस्तीफा देना पड़ा तथा राष्ट्र विधान सभा चुनावों की घोषणा भी करनी पड़ी। उसने मुख्य न्यायाधीश, जिसे पहले उप-राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी, को सत्ता सौंप दी। १९ नवम्बर, १९९० के समझौते के अनुसार उप-राष्ट्रपति (कार्यकारी राष्ट्रपति) को पुनर्स्थापित प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद को सत्ता सौंपनी थी परन्तु बी एन पी नेता तथा प्रधानमंत्राी पद की दावेदार खालिदा ज़िया ने कहा कि केवल सत्रासीन संसद ही प्रणालीबद्ध परिवर्तन ला सकती है। इसके लिए औपचारिक रूप से बी एन पी के संविधान में भी संशोधन लाने की आवश्यकता थी जोकि राष्ट्रपति प्रणाली के पक्ष में थी। १९९१ में हुए आम चुनावों में बेगम खालिदा ज़िया विजयी रहीं।

खालिदा ज़िया की सरकार को विपक्ष के समेकित तथा प्रभावी अभियान, आवामी लीग तथा पूर्व सैनिक तानाशाह जनरल इरशाद के जातीय दल द्वारा समर्थित प्रदर्शनों और हड़तालों तथा

जमायत-ए-इस्लामी के मुस्लिम रूढ़िवाद के बढ़ते हुए प्रभाव का निरन्तर सामना करना पड़ा। १९९५ के बाद के महीनों में बढ़ती हुई राजनीतिक अस्थिरता के कारण खालिदा ज़िया ने फरवरी, १९९६ में आम चुनावों कराने की घोषणा कर दी। चुनावी प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए निष्पक्ष प्रशासन उपलब्ध कराने में सरकार की नाकामयाबी के कारण आवामी लीग की नेता, शेख हसीना सहित सभी विपक्षी दलों ने बड़ी भर्त्सना की। आवामी लीग तथा अन्य दलों ने चुनावों का सफल बहिष्कार किया जिससे इनकी वैधता कम हो गई क्योंकि अधिक से अधिक केवल १० प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला। ज़िया राष्ट्रपति बनी रहीं परन्तु इसका देश के निकट भविष्य पर कोई अधिक अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा। पाकिस्तान के साथ १९७६ में सामान्य हुए संबंध वैसे ही चल रहे थे परन्तु भारत और बर्मा के साथ सीमा विवाद बढ़े, विशेषकर बर्मा के साथ संबंध कटु हो गए।

बी एन पी द्वारा उप-चुनावों में भ्रष्टाचार तथा धांधलेबाजी के विरोध में विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से सभा के पिछले दो वर्षों के दौरान (१९९४-१९९६) विधानसभा (राष्ट्रीय संसद) का बहिष्कार किया। खालिदा ज़िया ने विपक्षी दलों की परवाह नहीं की तथा उनकी भागीदारी के बिना देश पर शासन किया जिसके परिणामस्वरूप प्रशासन में राजनीतिक असंतोष की भावना भड़क उठी और प्रशासन को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सका। दबाव के कारण खालिदा ज़िया को नए चुनाव कराने के लिए निष्पक्ष सरकार की नियुक्ति के लिए सहमति देनी पड़ी। इस प्रकार के आयोजन के लिए संविधान में संशोधन लाया गया तथा जून, १९९६ में चुनाव कराए गए। इस बार आवामी लीग को १४७ सीटें मिलीं। जातीय पार्टी (३१ सीटें) तथा जमायत-ए-इस्लामी (३ सीटें) के सहयोग से शेख हसीना की सरकार बनी तथापि चुनाव से पूर्व बी एन पी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाजवूद खालिदा ज़िया की बी एन पी राष्ट्र विधानसभा में ११६ सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही।

यद्यपि १९९६ के चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए गए थे, बी एन पी ने आवामी लीग द्वारा चुनाव में धांधलेबाजी का आरोप लगाकर विरोध जताया। हसीना वाजेद के कार्यकाल के दौरान प्रमुख विपक्षी दल बी एन पी द्वारा अक्सर संसद का बहिष्कार किया गया तथा बी एन पी के नेतृत्व में कई प्रदर्शन तथा हड़तालें हुईं। अन्य शिकायतों के साथ-साथ विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस तथा आवामी लीग के कार्यकर्ता विपक्षी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं तथा जेल भिजवा रहे हैं। १९९९ के आरंभ में चार पार्टियों द्वारा बनाए गए गठबंधन ने संसदीय उप-चुनावों तथा स्थानीय सरकार के चुनावों का बहिष्कार किया। जुलाई २००१ में आवामी लीग की सरकार ने संसदीय चुनावों की अध्यक्षता करने के लिए केयरटेकर सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अक्तूबर २००१ के चुनावों से पहले केयरटेकर सरकार १९९० के दशक के दौरान सामान्य बन चुकी राजनीतिक हिंसा का हल ढूंढने में कामयाब रही ।

२००१ के चुनावों में आवामी लीग ने अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसने पहले ही अपने कुछ नेताओं जैसे कादर सिद्दीकी से संबंध समाप्त कर लिये थे, साथ ही उसने वामपंथी दलों को अपने साथ जोड़ने के कोई प्रयास नहीं किए। जमायत-ए-इस्लामी जैसे तथा अन्य रूढ़िवादी दलों ने आवामी लीग सरकार के विरूद्ध जमकर प्रचार किया। चार पार्टियों के गठबंधन के साथ लोगों का अध्यादेश प्राप्त करने के लिए चुनाव में उतरी खालिदा ज़िया को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। उनकी पार्टी को १८२ सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला जबकि सहयोगी दलों के साथ मिलकर उनकी कुल सीटें २०१ हो गईं। आवामी लीग को केवल ६२ सीटें मिलीं जो आवामी लीग का तब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था।

२००१ के चुनावों के परिणामों को स्वीकार न करते हुए आवामी लीग ने सरकार के विरूद्ध राष्ट्रीय विरोध कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया तथा आठवीं संसद के तत्काल बहिष्कार की घोषणा कर दी। बी एन पी की अध्यक्ष खालिदा ज़िया ने १० अक्तूबर २००१ को बंग्लादेश के ११वें प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ ली। आठवीं संसद के पहले दो सत्रों का बहिष्कार

करने के बाद आवामी लीग ने घोषणा की कि वह शैडो मंत्रिमंडल का गठन करेगी तथा उसने २४ जून, २००२ को संसद का बहिष्कार समाप्त कर राष्ट्रीय बजट की संसदीय चर्चा में हिस्सा लिया।

बोध प्रश्न ४

टिप्पणी: i) नीचे दिए गए स्थान को अपने उत्तर के लिए प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर का इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलान करें।

१) जनरल इरशाद को सत्ता क्यों छोड़नी पड़ी तथा सत्ता के अधिकार किसे प्रदान किए गए?

.....

.....

.....

२) २००१ के संसदीय चुनावों में आवामी लीग की पराजय के क्या कारण थे?

.....

.....

.....

९.८ नौकरशाही

जब बांग्लादेश स्वतंत्रा हुआ तो नए राष्ट्र में कार्यभार संभालने वाले सिविल सेवा के सदस्य अपने साथ भारतीय सिविल सेवा की परम्परा तथा प्रशासनिक सक्षमता भी लाए। समाज के अन्य संस्थानों की तुलना में अधिक विकसित होने के कारण नौकरशाही सामाजिक-राजनीतिक प्रणाली के कण-कण में समा गई। बांग्लादेश सिविल सेवा राष्ट्र के सबसे प्रभावी नागरिक समूह के रूप में उभर कर सामने आई।

आरम्भिक वर्षों में राजनीतिक गलियारों में नौकरशाही को शंका की दृष्टि से देखा गया। देशभर में सिविल सेवा अधिकारियों पर लोकतंत्रा के मार्ग में बाधा डालने तथा सैनिक शासन में अपनी सहयोगपूर्ण भूमिका सहित स्वतंत्राता से पूर्व देश पर आई मुसीबतों का आरोप लगाते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए। आवामी लीग ने तो नौकरशाही के किसी विशेष दल या यहाँ तक कि व्यक्ति को सरेआम फटकार लगाई ताकि उन्हें जनता के सामने नीचा दिखाया जा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण चरण के दौरान व्यावसायिक अधिकारियों की सेवाएँ पूर्ण रूप से नहीं ली जा सकीं।

सैनिक शासन के ऊपर सार्वजनिक प्रशासन को दिशा देने का दायित्व था। १९७७ में संरक्षण पर आधारित नियुक्ति प्रणाली में परिवर्तन लाकर योग्यता तथा समानता पर बल दिया गया। नियुक्ति की खुली प्रतियोगी प्रणाली से योग्य युवा नौकरशाही में शामिल हुए। ज़िया ने सिविल सेवा अधिकारियों को विकास संबंधी प्रशासन के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिए नई प्रशिक्षण परिकल्पनाएँ भी आरम्भ कीं।

इरशाद के शासनकाल में देश की नौकरशाही व्यवस्था में परिवर्तन लाए गए, विशेषकर विकेन्द्रीकरण तथा विकास पर बल दिया गया। पुराने उच्च वर्ग के पास इकट्ठी हो गई शक्तियों को कम करने तथा समृद्ध, शहरी परिवारों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी

पक्षपातपूर्ण रवैये में कमी लाने के लिए नियुक्ति प्रणाली में संशोधन लाए गए परन्तु इन परिवर्तनों को नौकरशाही का सैनिकीकरण करने तथा गांव के स्तर पर सेना की स्थिति मजबूत करने के प्रयासों के रूप में देखा गया ।

सामान्य रूप से विभिन्न राजनीतिक शासन कालों के दौरान सुधारों के लिए उठाए गए कदम अपर्याप्त तथा संकीर्ण प्रकृति के थे। प्रशासनिक प्रणाली के आधारभूत ढांचे पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

९.९ सेना

भारत तथा पाकिस्तान की सेना अंग्रेजों की देन है जबकि बांग्लादेश राइफल्स सहित बांग्लादेश सेना १९७१ के बाद ही आस्तित्व में आई। राष्ट्र की स्थापना के समय की परिस्थितियों के कारण यह राजनीतिक रूप में उभर कर सामने आई। आरम्भ में अधिकांश सैनिक पाकिस्तान सेना के देश प्रत्यावर्तित बंगाली कार्मिक तथा मुक्तिवाहिनी के स्वतंत्राता आंदोलन में भाग ले चुके कार्यकर्ता थे।

कुछ समय के लिए सेना के उच्च अधिकारी वे थे जो फील्ड मार्शल अयूब खान के शासनकाल में पाकिस्तानी सेना में अधिकारी थे। उनमें से अधिकांश मूलत: शहरी वर्ग के थे जबकि सेना के अधिकांश सैनिक निर्धन तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों से थे। सेना की इस प्रकार की सामाजिक-आर्थिक संरचना के कारण इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पाकिस्तान में सैनिक शासन की आदेशात्मक प्रणाली के आदी हो चुके सेना के उच्च अधिकारी सैनिक शासन से खुश थे जबकि सैनिक वर्ग इस्लामी रूढ़िवादियों के प्रभाव में था जिनकी पिछड़े ग्रामीण इलाकों में पैठ थी। अत: सेना अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान आम जनता में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अधिकांशत: इस्लामी रूढ़िवादी नेताओं पर निर्भर थी।

पाकिस्तान सेना की तरह बांग्लादेश सेना स्वयं को देश को एकजुट रखने में सबसे बड़ी शक्ति मानती है, राजनीतिक दलों की अभिशासन क्षमता पर उसे संदेह है तथा उसकी अपने लिए संवैध ाानिक भूमिका की मांग है।

९.१० सारांश

इस इकाई में देश के राजनीतिक ढांचे को प्रभावित करने वाले कारकों तथा शक्तियों पर प्रकाश डालते हुए हमनें बांग्लादेश के राजनीतिक विकास का अध्ययन किया है। हमने पढ़ा कि शेख मुजीबउर्रहमान के जनवादी शासन के दौरान बांग्लादेश के शासनतंत्रा के लोकतांत्रिाक ढांचे में गहरी खामियाँ तथा मतभेद उभर कर सामने आए जिससे मौलिक अधिकारों में कटौती की गई और देश एकल पार्टी प्रणाली पर आधारित राष्ट्रपति शासन की ओर अग्रसर हुआ। यकायक हुए आधारभूत परिवर्तनों के परिणामस्वरूप १९७५ में पहला सैनिक तख्तापलट हुआ। शासन परिवर्तनों, प्रतिपक्षीय शासन परिवर्तनों तथा हत्याओं का सिलसिला १९९० के दशक तक चलता रहा। प्रणाली के लोकतंत्राीकरण के बहाने देश के दो सैनिक शासकों जनरल ज़ियाउर्रहमान तथा एच एम इरशाद ने संविधान में मामूली परिवर्तन किए परन्तु ये केवल सतही परिवर्तन थे तथा इनसे प्रणाली के लोकतंत्राीकरण में कोई सहायता नहीं मिली। लोगों के विरोध के कारण अंत में १९९० के दशक के आरम्भिक वर्षों में लोकतंत्रा तथा संसदीय संस्थानों की बहाली हुई और तब से लेकर आज तक बांग्लादेश नेशनल पार्टी तथा आवामी लीग बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य पर छाई हुई हैं।

बांग्लादेश की राजनीतिक संस्कृति की प्रमख विशेषता राजनीतिक सक्रियतावाद का उच्च स्तर रहा है। यद्यपि इससे लोकतंत्रा की स्थापना हुई है तथापि इससे गुटबंदी को भी बढ़ावा मिला है जिसके कारण सशक्त विपक्ष नहीं बन पाया है। बांग्लादेश एक नवनिर्मित देश है जिसमें लोकतंत्रा की स्थापना का मार्ग प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में परस्पर विरोधों के कारण संकुचित रहा है जिसके परिणामस्वरूप निरन्तर संसदीय बहिष्कार, सड़कों पर प्रदर्शन तथा हड़तालें हुई।

९.११ कुछ उपयोगी पुस्तकें

अहमद माडदूद, १९८३: *बांग्लादेश: इरा ऑफ शेख मुजीबउर्रहमान* (ढाका)

अहमद, इमाजुद्दीन; १९८०: *ब्यूरोक्रेटिक इलीट्स इन सेगमेंटिड इकोनोमिकल ग्रोथ: पाकिस्तान एंड बांग्लादेश;* (ढाका)

इस्लाम, नुरूल; १९७९: *डिवैलपिंग प्लैनिंग इन बांग्लादेश: ए स्टडी इन पोलिटिकल इकोनोमी;* (ढाका)

जहान, रौनक; १९८०: *बांग्लादेश पोलिटिक्स - प्रोब्लम्स एंड इशूज;* (ढाका)

तालुकदार, मनीरूज्जमान; १९८८: *द बांग्लादेश रेवोल्यूशन एंड इट्स आफ्टरमाथ;* (ढाका)

राय, जे के ; १९९२: *एन अनसरटेन बिगिनिंग : परस्पैक्टिव ओन पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी* इन *बांग्लादेश;* (ढाका)

९.१२ बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न १

१) मूलभूत सिद्धांत राष्ट्रवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्रा हैं। इन सिद्धांतों में लोगों की चिरकालिक लोकप्रिय मांगें परिलक्षित होती हैं, अत: इन्हें सशक्त राजनीतिक वैध ाता मिली।

२) संविधान के चौथे संशोधन में संसदीय प्रणाली का स्थान राष्ट्रपति प्रणाली ने ले लिया। इससे काडर पर आधारित एकल पार्टी प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ।

बोध प्रश्न २

१) एक ओर राजनीतिक दलों में गुटबंदी के कारण कमजोर हुई लोकतांत्रिाक शक्तियों तथा दूसरी ओर स्वतंत्राता संघर्ष की प्रमुख विशेषता, सेना के राजनीतिकरण के कारण बांग्लादेश की राजनीति में पहली बार सैनिक हस्तक्षेप हुआ।

२) ज़ियाउर्रहमान ने अप्रैल, १९७७ में न्यायाधीश सईम से राष्ट्रपति पद लेकर अपनी स्थिति मजबूत की। सेना से प्रतिकूल तत्वों को हटा दिया गया, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद से बचने के लिए संवैधानिक संशोधन किए गए, पाकिस्तान के समर्थक नौकरशाहों को महत्वपूर्ण पद दिए गए इत्यादि।

बोध प्रश्न ३

१) राष्ट्रपति सत्तार ने सेना को देश के अभिशासन में कोई भूमिका देने से इन्कार कर दिया, जबकि जनरल इरशाद सेना के लिए संविधान द्वारा सुनिश्चित स्तर दिए जाने के इच्छुक थे।

२) मार्शल लॉ हटाना, मौलिक अधिकारों की स्थापना, अन्य सभी चुनावों से पहले संसदीय चुनाव कराना, सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ना तथा १९८३ के चुनावों में ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार लोगों पर महाभियोग।